विधानसभा में 3 कर्मचारी सेवानिवृत्त

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति कितने अधिक संवेदनशील है, इसका उदाहरण उन्होंने एक बार पुनः बुधवार को विधानसभा के तीन कर्मियों के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में उपस्थित होकर दिया। विधानसभाध्यक्ष देवनानी पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लगभग सभी सेवानिवृति कार्यक्रमों में लगातार उपस्थित रहते आए है। बुधवार को विधानसभा के तीन कर्मियों अनुभाग अधिकारी सत्यनारायण सैनी, वरिष्ठ लिपिक ताराचन्द बाटड और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सागर देवी के सेवानिवृत्ति समारोह में भी वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। इस समारोह में राज्य के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में 60 फीसदी दर पर आवंटन करेगा रीको प्रशासन

प्रदेश के जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 3 नीलामियों के बाद भी कुल बिक्री योग्य भूखंड़ों का 10 फीसदी से ज्यादा आवंटन नहीं हो पाया, वहां उद्यमियों को बड़ी राहत दी गई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश के जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 3 नीलामियों के बाद भी कुल बिक्री योग्य भूखंडों का 10 फीसदी से ज्यादा आवंटन नहीं हो पाया है, ऐसे असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में रीको प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। रीको प्रशासन इन जगहों पर भूखण्डों का आवंटन प्रचलित औद्योगिक दर या आरक्षित दर (जो भी अधिक हो) के 60 प्रतिशत मूल्य पर करेगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों में लीज अवधि को भी 99 वर्ष से घटाकर 33 वर्ष कर दिया गया है।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के नौवें चरण में 27 असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिनमें

- **इन औद्योगिक क्षेत्रों में लीज अवधि को भी 99 वर्ष से घटाकर 33 वर्ष कर दिया गया है।**

उद्यमियों का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। इन औद्योगिक क्षेत्रों के 22 भूखण्डों पर 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह कदम उद्योग स्थापना की लागत को कम करने में सहायक होगा।

निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। निवेशकों की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एमओयू से जुड़े नियमों में शिथिलता दी है। अब राइजिंग राजस्थान एमओयू होल्डर्स योजना के चरण प्रारंभ होने पर भी ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि तक एमओयू निष्पादित कर पात्र बन सकेंगे, जिससे अधिक निवेशकों को अवसर मिलेगा। पूर्व में निवेशक प्रत्यक्ष आवंटन योजना का चरण प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व यदि एमओयू कर लेते थे, तभी वे उस चरण में भाग ले पाते थे।

रीको के कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेशकों ने रूचि दिखाई थी जो विशेष श्रेणी के उद्योगों के लिये आरक्षित थे। इन क्षेत्रों में निवेशक सामान्य श्रेणी के उद्योग लगाना चाहते थे। इसके लिए रीको ने इन क्षेत्रों में उपयोग की श्रेणी में बदलाव किया है। जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र मानपुर माचेडी जो पहले लेदर उद्योग के लिए आरक्षित था, अब सामान्य श्रेणी के लिए बना दिया गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थौलाई, जयपुर तथा बोरानाडा (जोधपुर) स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क के कुछ भाग को भी सामान्य श्रेणी के उद्योगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क, बोरानाडा में इस नए क्षेत्र को इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क बोरानाडा एक्सटेंशन नाम दिया गया है।

एस.आई. भर्ती प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से एसएलपी पेश करने आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की है। जिससे कि इस भर्ती को लेकर एसएलपी पेश होने पर कोई भी फैसला होने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।

यह केविएट मूल याचिकाकर्ता व असफल अभ्यर्थी कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर की है। इनकी ओर से गुहार की गई है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के भर्ती रद्द करने के एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ यदि राज्य सरकार या अन्य कोई चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे तो उन्हें सुने बिना कोई आदेश नहीं दिए जाए।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 859 पदों की एसआई भर्ती-2021 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक व धांधली होने के आधार पर उसे रद्द करने के आदेश दिए थे।

इसके खिलाफ दायर राज्य सरकार व अन्य की अपील का निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने भी एकलपीठ के आदेश को सही माना था। राज्य सरकार की ओर से फिलहाल हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर विचार विमर्श किया जा रहा है और अभी तक एसएलपी दायर करने को लेकर निर्णय नहीं हुआ है।

ऑटोमाइज्ड तुलाई काटों का लाइव परीक्षण शुरु

यूजर फ्रैण्डली मोबाइल एप भी जल्द ही होगा जारी : अपर्णा अरोरा

अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने जयपुर के उगरियावास में एडप्ट इंफ्रा के तुलाई कांटे से औपचारिक लाइव परीक्षण किया।

जयपुर । राज्य में खनन क्षेत्र के ऑटोमाइज्ड अधीकृत तुलाई कांटों का बुधवार से लाइव परीक्षण शुरु कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने जयपुर के उगरियावास में एडप्ट इंफ्रा के तुलाई कांटे से औपचारिक लाइव परीक्षण शुरु करते हुए ऑटोमाइज्ड व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा खान धारकों और विभागीय उपयोग के लिए ऑटोमाइज्ड अधीकृत तुलाई कांटों के लिए मोबाइल एप्प भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंताओं से फील्ड में दौरा कर मोनेटरिंग, खानधारकों से समन्वय और फीड बैक के निर्देश दिए। एसीएस खान अपर्णा अरोरा ने बताया कि पहले चरण के 309 तुलाई कांटों में से 130 तुलाई कांटों पर लाइव परीक्षण शुरु कर दिया गया है, शेष 179 तुलाई कांटों का 20 अप्रेल तक लाइव परीक्षण शुरु कर दिया जाएगा। उन्होंने लीजधारकों से भी आगे आकर तुलाई कांटों के ऑटोमाइज्ड व्यवस्था से जुड़ने का आग्रह किया है। एडप्ट इंफ्रा के लीजधारक हरि सिंह चौधरी व गौरव खंडेलवाल सहित उपस्थित लीजधारकों से फीडबेक लिया और आईटी टीम के आवश्यक निर्देश दिए।

घटना के 11 साल बाद रिटायर चिकित्सा अधिकारी को दी गई चार्जशीट पर रोक

हाईकोर्ट ने मुख्य चिकित्सा सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2013 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहते बनाई मेडिकल रिपोर्ट को लापरवाही से तैयार करना बताकर साल 2024 में रिटायर चिकित्सा अधिकारी को दी चार्जशीट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य चिकित्सा सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. अमर सिंह मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तरुण जैमन ने अदालत

- **चार्जशीट में आरोप है कि 8 मार्च 2013 को बनाई प्रारंभिक चोट रिपोर्ट को तैयार करने में लापरवाही बरती गई है**

को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2013 में करौली के हिंडौन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। इस दौरान उसने 8 मार्च, 2013 को वीर सिंह का मेडिकल करते हुए उसके 9 चोटे आना बताया था। याचिका में कहा गया कि उसे 12 जून, 2024 को विभाग ने चार्जशीट देते हुए आरोप लगाया की वीर सिंह की मौत के बाद 12 मार्च, 2013 को एसएमएस अस्पताल में हुए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके 29 चोटें पाई गई थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया की उसने 8 मार्च को बनाई प्रारंभिक चोट रिपोर्ट को तैयार करने में लापरवाही बरती है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता कई साल पहले रिटायर हो चुका है। वहीं पेंशन सेवा नियम, 1996 के तहत रिटायर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकती। इसके अलावा घटना के 11 साल बाद चार्जशीट देना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए चार्जशीट पर रोक लगा दी है।

सड़क दुर्घटना में पत्रकार देवेन्द्र शर्मा का निधन

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम को सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हुए पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (45) का बुधवार को उपचार के दौरान निधन हो गया। मंगलवार रात मालवीय नगर में ओटीएस चौराहे और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आर.आई.सी.) के पास देवेन्द्र की बाइक को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पत्रकार देवेन्द्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने मध्यरात्रि में उनके सिर का ऑपरेशन भी किया, लेकिन भरकस प्रयासों के बावजूद देवेन्द्र की जान नहीं बचा पाये। बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इस संबंध में मृतक देवेन्द्र के भाई दिनेश शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है। इस मामले की जांच पड़ताल सड़क दुर्घटना थाना पूर्व पुलिस की ओर से की जा रही है।

ज्ञात रहे कि देवेन्द्र शर्मा ने राष्ट्रदूत समाचार पत्र से अपने पत्रकारिता करियर की शुरूआत की और लंबे समय तक यहां सेवाएं दीं। वे कई मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके थे।

जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल सरदारमल ने बताया कि सड़क दुर्घटना थाना पूर्व पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। टक्कर मारने वाली कार को डिटेन कर लिया गया है, जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पतंजलि ने रचा 'विश्व भेषज संहिता' महाग्रंथ, डब्ल्यूएचओ ने 'असंभव' कहकर छोड़ा था

अब 'गूगल' अपनी एआई के लिए मांग रहा संग्रहित किया डेटा

हरिद्वार (कासं)। कभी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था ने जिस काम को 'असंभव' मानकर बीच रास्ते में छोड़ दिया था, उसी कार्य को भारत में एक संकल्प ने न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उसे इतिहास में दर्ज कर दिया। यह कहानी है उस अद्भुत पुरुषार्थ की, जहां तप, शोध और दूरदर्शिता ने मिलकर 'विश्व भेषज संहिता' जैसा महाग्रंथ रच दिया और आज हालात यह है कि डिजिटल युग की दिग्गज कंपनी गूगल भी उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पतंजलि के दरवाजे पर दस्तक दे रही है।

देहरादून के दून पुस्तक मेले में पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने खुलासा करते हुए बताया कि, वर्ष 1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। लक्ष्य था, दुनिया भर की वनस्पति आधारित चिकित्सा पद्धितयों, औषधीय पौधों और पारंपरिक ज्ञान को एकत्रित कर एक वैश्विक दस्तावेज तैयार करना। परंतु करीब 11 वर्षों की मेहनत के बाद 2010 में डब्ल्यूएचओ ने इस परियोजना को रोक दिया। कारण साफ था, यह कार्य अत्यधिक व्यापक, जटिल और लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। अंततः डब्ल्यूएचओ केवल 3 सीमित वॉल्यूम तक ही सिमट गया।

आचार्य बालकृष्ण

आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि, बिना किसी वैश्विक शोर-शराबे के पतंजलि योगपीठ ने 2003-04 से इसी दिशा में काम शुरू कर दिया था। संस्थान को यह भी ज्ञात नहीं था कि डब्ल्यूएचओ इस पर पहले से कार्य कर चुका है। करीब दो दशकों की निरंतर शोध और संकलन के बाद 2022 में यह कार्य अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आया।

इस दौरान 3.60 लाख पौधों में से 50 हजार औषधीय पौधों की पहचान, 2000 जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, 964 हीलिंग प्रैक्टिसेस का संकलन, 9 चिकित्सा पद्धितयों का समावेश, 12 लाख से अधिक स्थानीय (वर्नाक्युलर) नामों का संग्रह तथा

- **विश्व भेषज संहिता में 109 खंड, डब्ल्यूएचओ 10 वर्षों में सिर्फ 3 वॉल्यूम निकाल पाया था**
- **दून पुस्तक मेले में पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने खुलासा किया**

2200 से अधिक स्त्रोतों पर आधारित शोध को समेटकर लगभग 1.25 लाख पृष्ठों का 'विश्व भेषज संहिता' तैयार हुआ।

आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के इस युग में, जब दुनिया डिजिटल ज्ञान पर निर्भर है, तब गूगल जैसी टेक दिग्गज कंपनी ने पतंजलि से एविडेंस-बेस्ड डेटा के लिए संपर्क साधा है।

यानि गूगल एआई के प्रयोग के लिए पतंजलि का संग्रहित साक्ष्य आधारित डेटा मांग रहा है, ताकि वह इस डेटा से एआई को और मजबूत कर सके। यह केवल एक सहयोग नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत का पारंपरिक ज्ञान अब वैश्विक टेक्नोलॉजी के केंद्र में पहुंच चुका है।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल वृत अलवर

-:आवश्यक सूचना:-

आवास संख्या 1/84, एन.ई.बी.85 योजना अलवर जो कि मूलतः श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सुवालाल को आवंटन पत्रांक 5600 दिनांक 03.03.1989 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा आवास का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 3552 दिनांक 22.03.2018 को श्री राजू सिंह पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री राजू सिंह द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 13.06.2018 को उपपंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री राजू सिंह की मृत्यु दिनांक 14.01.2020 को हो जाने के उपरांत उनकी उत्तराधिकारिणी पत्नि श्रीमती रामप्यारी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत रिलीजडीड (हकत्याग पत्र) दिनांक 18.03.2026 व मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है।

अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 1/84, एन.ई.बी.85 योजना अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एंव आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती रामप्यारी पत्नि स्व. श्री राजू सिंह के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

नाम परिवर्तन

मै आर्मी नंबर 17000198H रैंक- हवलदार रूपम बर्धन, निवासी गांव- घिलाईटिला, पोस्ट ऑफिस- अंगलारबाजार, बदरपुर, जिला- श्रीभूमि (करीमगंज) असम, ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी पत्नी का नाम पायल बर्धन से बदलकर पायल बैद्य कर दिया है।

मेरे पुत्र CHINMAYA RAWAT के विद्यालय रिकॉर्ड में त्रुटी से मेरा नाम DILIP RAWAT एवं मेरी पत्नी का नाम GAYATRI RAWAT दर्ज हो गया जबकि मेरा सही नाम DILEEP RAWAT एवं पत्नी का GAYATRI SHARMA है। निवासीः वार्ड नं. 12, महाशय कॉलोनी, खेरली गंज, जिला अलवर, राजस्थान।

मैं, 15424173W हवलदार मंजुरुल इस्लाम बरभुइया (कचर, असम), सूचित करता हूँ कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में माता-पिता का नाम गलत दर्ज है। सही नाम शांति बेगम बरभुइया (माता) और मोईन उद्दीन बरभुइया (पिता) है। इसकी पुष्टि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर के समक्ष दिनांक 07.04.2026 को प्रस्तुत शपथपत्र द्वारा की गई है।

मैं, कुप्पिली उषाश्री पत्नी नं. 15437794एन रैंक हवलदार/पीएनए नाम नागीरी जोगाराव निवासी मेट्टा वीधी, गांव बन्नुवाड़ा, तहसील और पोस्ट तेक्कली, जिला श्रीकाकुलम, एपी-532201, ने मेरा नाम नागरी उषाश्री से बदलकर कुप्पिली उषाश्री कर दिया है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष दिनांक 07.04.2026 को शपथपत्र द्वारा।

मैं, 15421682K हवलदार/PNA टी. शिवा कुमार, निवासी मदुरै, सूचित करता हूँ कि मेरे सेवा रिकॉर्ड में माता-पिता का नाम गलती से टी. आरती/एम. तमिलरसन अंकित है। सही नाम अथियम्मल तमिलरसन (माता) और तमिलरसन मासीलामणि (पिता) है। मैंने जयपुर मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथपत्र 07.04.2026 प्रस्तुत किया है।

सम्मन वास्ते करारदार उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय श्रीमान MACT सम्भल स्थित चन्दौसी

नम्बर मुकदमा 103/ सन् 2021

श्रीमती सुखरानी बनाम दीपक सिंघल आदि

दीपक सिंघल पुत्र श्री नत्थीलाल निवासी- 22 ज्ञान विहार संगनेर जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

हरगाह... ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है की तारीख 17 माह 06 सन 2026 बवक्त दस बजे दिन के असालतन मार्फत अपने वकील जो मुकदमा के हालात से वाकिफ हो हाजिर हो और जवाब देही करे / आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज पेश करें जिन्हें अपनी जवाब देही में इस्तेमाल करना चाहते हैं।

आपको इत्तिला दी जाती है। कि आप अगर बरोज मजकूर हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिर आपके मन्सूख ओर फैसला होगा।

दस्तखत मेरे व मोहर आज बतारीख सन् 20... ई. को जारी किया।

इत्तिला

(1) अगर आपको यह अन्देशा हो कि आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे। आप अदालत हाजा से सम्मन जारी करा सकते हैं कि जो गवाह हाजिर न हो जवरन हाजिर करा दिया जाये और जिस दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आप ख्याल रखते हों वह उससे पेश कराई जाये बशर्ते कि आप अदालत में दाखिल रूपये खर्च की दरख्वास्त गुजराये।

(2) अगर आप मुतावला मुद्दई को न्यायालय में जानशीन करते हैं तो आपको लाजिम है। कि आप न्यायालय में पता दाखिल करें ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री को आपको डाक द्वारा भेजी जाया।

मोहर अदालत — MACT सम्भल स्थित चन्दौसी

नम्बर मिलाइए 9587884433

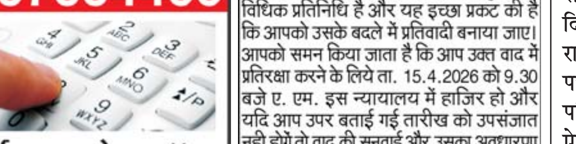

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री विरेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामस्वरूप चतुर्वेदी, निवासी-11-ए, बंशीपुरी, जगतपुरा, जयपुर की ओर से सूचित किया जाता है कि उनके भ्राता स्वर्गीय श्री मोहन लाल चतुर्वेदी, निवासी-10/654, जयपुर के आवास संख्या-10/654, मालवीय नगर, के मूल दस्तावेजों के गुम हो जाने बाबत् स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी द्वारा हुल्का थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा रखी है तथा अखबार में खोया-पाया इश्तहार भी निकलवा रखा है। मेरे अभिभाष्य के ज्ञान में आया है कि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त गुमशुदा फाईल को गलत तरीके से तैयार कर मकान को हड़पने बेचने का षड्यन्त्र कर रहा है। मेरे अभिभाष्य उक्त मकान पर मोहन लाल जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके वसीयती उत्तराधिकारी के रूप में दाखिल काबिज चले आ रहे है तथा मकान मे मोहन लाल जी के समय से चला आ रहा, किरायेदार अब मेरे अभिभाष्य के किरायेदार के रूप में रह रहा है। कोई भी व्यक्ति / संस्था उक्त मकान से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई संव्यवहार नही करें। अतः सूचित रहें।

जयपुर — (राहुल शर्मा) एडवोकेट

दिनांक : 08.04.2026 — मो.-8559982528

खोया पाया

मेरे मकान नम्बर- 164/175, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का ओरिजनल अलाटमेंट लेटर+कब्जापत्र+भौतिक कब्जापत्र+ अदेय प्रमाणपत्र कही खो गया मिलने पर सूचित करें हरि सिंह- 6377929180

आवास संख्या 61/412 मूल कब्जा पत्र व अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। Krishan Goapl Dangi मो. 7737400048

अभियुक्त व्यक्ति की उपसंजाति के लिए अपेक्षा करने वाले उद्घोषणा

(धारा 87, अनुसूची 5, प्रपत्र संख्या 4)

न्यायालय

मैजिस्ट्रेट कोटि जिला

चूँकि मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि धीरज खण्डेलवाल S/o स्व. श्याम लाल व्यवसाय निवासी 211, साउथ गिरनार गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर (पश्चिम) राजस्थान थाना जिला द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अधीन दण्डनीय किया गया अपराध 406 IPC (1) है और तदुपरि निकाले गये गिरफ्तारी के किये जाने का संदेह किया जाता

अधिपत्र को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त को पाया नहीं जा सका है और चूँकि मुझको समाधानप्रद रूप में यह संदर्शित कर दिया अपपलायन कर गया है

गया है कि उक्त कव

उक्त अधिपत्र की तामील से बचने के लिये अपने को छिपा रहा है।

अतएव एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि निवासी से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह दिनांक 9 मास 4 सन 2026 ई0 को .... उक्त मेरे समक्ष परिवाद का उत्तर देने के लिय उपस्थित हो।

मुद्रा — मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम लखनऊ

आम सूचना के लिए मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को समन

(आदेश 22 का नियम 4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू स्थान झुन्झुनू,

वादी-जयनारायण बनाम विरूद्ध कुरड़ाराम वगैरह प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती

सिविल वाद सं. 172 / सन् 2017

प्रेषिति- श्रीमती सुशीला पत्नी मोहनराम उर्फ महेश कुमार, पुत्री तोलाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी पन्द्राहेड़ा, तहसील टोडा रायसिंह, जिला टोंक (राज.) वादी ने न्यायालय में पूर्व में को मोहनराम उर्फ महेश प्रतिवादी नं. 11 के विरूद्ध वाद संस्थित किया था। प्रतिवादी की अब मृत्यू हो चुकी है और उक्त वादी ने यह अभिकथन करते हुये इस न्यायालय में आवेदन किया है कि आप उक्त मोहनराम उर्फ महेश प्रतिवादी नं. 11 मृतक के विधिक प्रतिनिधि है और यह इच्छा प्रकट की है कि आपको उसके बदले में प्रतिवादी बनाया जाए। आपको समन किया जाता है कि आप उक्त वाद में प्रतिरक्षा करने के लिये ता. 15.4.2026 को 9.30 बजे ए. एम. इस न्यायालय में हाजिर हो और यदि आप उपर बताई गई तारीख को उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारणा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज ता. 7.4.26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मोहर अदालत — उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य गोवर्धन शर्मा पुत्र स्व0श्री रामेश्वर शर्मा निवासी कौशल्या दास की बावडी, मोहब्बतपुरा, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर का है जो कि मेरे अभिभाष्य की पुत्री श्रीमती विनिता शर्मा पुत्री श्री गोवर्धन शर्मा निवासी कौशल्या दास की बावडी, मोहब्बतपुरा, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है और ना ही मेरे अभिभाष्य की सेवा सुश्रूषा करती है एवं मेरे अभिभाष्य के साथ दुर्व्यवहार करती है, इसलिए मेरा अभिभाष्य अपनी पुत्री श्रीमती विनिता शर्मा को अपनी स्वअर्जित समस्त चल अचल सम्पति से बेदखल करता है यदि श्रीमती विनिता शर्मा किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई भी लेन देन करती है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। श्रीमती विनिता शर्मा यदि मेरे अभिभाष्य की स्वअर्जित चल अचल सम्पति पर कोई अधिकार या दावा करता है तो वह शुन्य समझा जावेगा।

राजेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोकेट, मो.न. 9588040635

आम सूचना

झालाना डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति के संयोजक महेश कुमार मीणा द्वारा खसरा नं. 1898 में एक आवासीय योजना अंजली विहार ढाणी बोराज मौजमाबाद के नाम से सृजित कि गई थी को निरस्त कर दी गई है। समिति के पदाधिकारी ने प्रबन्ध कार्यकारणी की बैठक बुलाकर निरस्त की गई है।

इसी प्रकार झालाना डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति के संयोजक पवन कुमार मीणा द्वारा खसरा नं. 2011/3 में से 7 बिस्वा में श्री बालाजी विहार गांधी पथ पश्चिम में सृजित की गई थी को समिति पदाधिकारी कि प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर निरस्त की गई है।

अध्यक्ष- झालाना डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर

रजि.नं. 25/एल.सी., मो.-8078600067

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21) कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-1/TRUST/2026/1571

चूंकि प्रार्थी श्री MANISH KUMAR MEENA, KHAROI, PO: GHAD, DIST: TONK, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास नई उमंग नई पहचान फाउण्डेशन ट्रस्ट C/O MEENA DEVI W/O SHRI BABU LAL MEENA, VILLAGE SHRI RAM KI NANGAL, SANGANER, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 10.06.2026

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तेहार) बैजरिये न्यायालय

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या.01, सांभर लेक, जिला-जयपुर, राज.

प्रार्थना पत्र संख्या 06/2026

मोहनलाल कुमावत

बनाम

हर खास व आम

विषयः- संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत चिरंजीलाल पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद की संरक्षकता का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र।

अंतर्गत धारा 10 वाइर्स एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1890

प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद कुमावत, जाति-कुमावत, उम्र 58 वर्ष, निवासी बड़ की ढाणी पोस्ट-काचरोदा, फुलेरा तहसील-फुलेरा, जिला-जयपुर राजस्थान मो.नं.-9799395574

ता0 पेशी दिनांक 29-04-2026 08 AM

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उसके छोटे भाई चिरंजीलाल पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद कुमावत जो कि अप्राप्तवय अनसाउंड ऑफ माइण्ड है, इसलिये उनकी देखभाल इत्यादि के लिये उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसके पक्ष में संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम सन 1890 के तहत मोहनलाल कुमावत को उसके भाई चिरंजीलाल कुमावत की संरक्षकता प्रदान की जावे।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 29 माह अप्रैल सन 2026 को उपस्थित होकर आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 06 माह 05 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से-रीडर ग्रेड प्रथम

मोहर अदालत — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01, सांभर लेक जिला जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर

सेक्टर-9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर

क्रमांक :- जसअ / 2026 / 12 — दिनांक: 06.04.2026

ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) -01 से 02/2026-27

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व http://sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2627WSOB00005 & JMC2627WSOB00006 है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 02.04.2026 को अपलोड करवा दिया जायेगा।

अधिशाषी अभियन्ता मानसरोवर जोन नगर निगम जयपुर

राज.संवाद / सी / 26 / 519

पचपदरा रिफाइनरी परियोजना प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक समृद्ध बनायेगी : मदन राठौड़

लगभग 90 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

जयपुर (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए राठौड़ ने कहा कि यह परियोजना राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ आर्थिक विकास को नई दिशा देगी। राठौड़ ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में निर्माणाधीन रिफाइनरी परियोजना राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होने जा रही है, जिसकी आधारशिला वर्ष 2007-08 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में रखी गई थी।

राठौड़ ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी। पहले जहां 10 से 30 हजार लोगों के रोजगार की संभावना थी, वहीं अब लगभग 90 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार ने नवाचार करते हुए पाली, बालोतरा एवं जोधपुर क्षेत्र के शोधन किए गए अपशिष्ट जल के उपयोग का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे आमजन के लिए पेयजल की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। भाजपा सरकार जनसेवा के उद्देश्य से कार्य कर रही है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राठौड़ ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2013 में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को पचपदरा बुलाकर रिफाइनरी परियोजना का शिलान्यास कराया, जो केवल एक चुनावी ढोंग साबित हुआ। उस समय न तो भूमि का अधिग्रहण किया गया था और न ही आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियां ली गई थीं, जिसके कारण कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परियोजना पर कोई ठोस कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।

गहलोत सरकार द्वारा किया गया समझौता राज्य के हितों के विपरीत था। इस समझौते के तहत राजस्थान सरकार को 15 वर्षों तक प्रति वर्ष 3736 करोड़ रुपए बिना ब्याज के संबंधित कंपनी को देने का प्रावधान किया गया था, जो रिफाइनरी परियोजना में क्रूड निकालने का कार्य करती। राठौड़ ने कहा कि जमीन हमारी, तेल हमारा और भुगतान भी हम ही करें, जबकि हमें केवल 26 प्रतिशत इक्विटी मिले और 74 प्रतिशत हिस्सेदारी कंपनी को दी जाए-यह पूरी तरह से राज्य के साथ अन्याय था। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के पुनः सत्ता में आने के बाद इस समझौते में व्यापक सुधार किए गए। राज्य सरकार का वित्तीय भार कम करते हुए लगभग 40 हजार करोड़ की बचत सुनिश्चित की गई तथा अनावश्यक वार्षिक भुगतान की शर्तों को समाप्त किया गया। साथ ही, परियोजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर उसे अधिक लाभकारी बनाया गया। वर्तमान में राज्य का वित्तीय योगदान लगभग 16,845 करोड़ तक सीमित किया गया है।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल चाकसू, जिला जयपुर (राज.)

क्रमांकः-न.पा.चा. / 2026 / 102 — दिनांक :-02.04.2026

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र कल्याण द्वारा इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि राजस्व ग्राम चाकसू पूर्व, तहसील चाकसू के निम्नलिखित खसरों के कुल रकबों में से केवल आंशिक रकबों का ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आशियाना जयपुर डवलपर्स प्रा. लि. को बेचान किया गया था जिस पर आवासीय कॉलोनी विकसित है।

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत राजस्व ग्राम चाकसू (पूर्व), तहसील चाकसू के उपरोक्त निम्नलिखित खसरों के सम्पूर्ण रकबों का 90क कर दिया गया था जिसे प्रार्थी ने पुनः आवासीय किस्म से मुक्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है।

खसरा सं.	कुल संपरिवर्तित रकबा (हैक्टेयर में)	बेचान किया गया रकबा (आवासीय प्रयोजनार्थ) (हैक्टेयर में)	आवेदक का पुनः कृषि प्रयोजनार्थ रकबा (हैक्टेयर में)
5883 / 1	0.1000	0.1000	-
5885 / 1	0.2600	0.1700	0.0900
5886	0.1000	0.1000	-
5887	0.1200	0.1200	-
5888	0.3400	0.0500	0.2900
5889	0.1600	0.0400	0.1200
5890	0.0500	0.0500	-
5891	0.0400	0.0400	-
5901	0.1700	0.1700	-
5902	0.7500	0.1700	0.5800
	2.0900	1.0100	1.0800

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं आशियाना जयपुर डवलपर्स प्रा. लि. द्वारा उपरोक्त खसरा नंम्बरान कुल किता 10 के कुल रकबा 2.0900 हैक्टेयर में से रकबा 1.0100 को छोडकर संपरिवर्तन आदेश दिनांक 05.10.2023 को शुद्ध किये जाने पर अनापत्ति हेतु शपथ पत्र के आधार पर 90-क शुदा भूमि खसरा सं. 5885 / 1 कुल रकबा 0.2600 हैक्टे0 में से 0.0900 हैक्टे0, खसरा सं. 5888 कुल रकबा 0.3400 हैक्टे0 में से 0.2900 हैक्टेयर, खसरा सं. 5889 कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर में से 0.1200 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 5902 रकबा 0.7500 हैक्टेयर में से 0.5800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर आवेदक के आंशिक रकबों के पुनः कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव प्रस्तुत करना चाहे तो 07 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति / सुझाव अंगीकार नहीं की जावेगी एवं तदानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित हो।

राज.संवाद / सी / 26 / 449 — अधिशाषी अधिकारी